

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 24.06.2025, थाना वजीरगंज**  
**जनपद गोण्डा**

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरगबजं श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 185/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. तरुन गोस्वामी पुत्र श्री अभयराज गोस्वामी निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को झिल्लाही मोड़ डाक बंगले के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी सत्यदेव मिश्रा पुत्र स्व0 शिवकुमार मिश्रा निवासी ग्राम जलालपुर चड़ौवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 21.06.2025 को दिन में अपने मकान पर लेवर लेकर साफ सफाई करवा रहा था कि विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर आये और गाली गुप्ता देने लगे मना करने पर जान से मारने की नियत से लाठी, डन्डा व हाकी से मारने पीटने लगे जिससे गम्भीर चोट आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0- 185/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109 बीएनएस बनाम विकास सिंह आदि 8 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद व 8व्यक्तियों के विरुद्ध अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आज दिनांक 24.06.2025 को प्रकाश में आये अभियुक्त 01. तरुन गोस्वामी पुत्र श्री अभयराज गोस्वामी निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को झिल्लाही मोड़ डाक बंगले के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. तरुन गोस्वामी पुत्र श्री अभयराज गोस्वामी निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0स0- 185/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109 बीएनएस थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 रामधारी दिनकर
02. का0 मंजीत सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**